भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1869
दिनांक 11 दिसंबर 2025

केरल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

†1869. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों की कुल संख्या का वर्ष-वार और केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रति पीएमयूवाई लाभार्थी परिवार की राष्ट्रीय स्तर पर रिफिल कराने की औसत वार्षिक दर का ब्यौरा क्या है तथा रिफिल न कराने के मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त योजना के प्रभाव और बीपीएल परिवारों के समग्र सशक्तिकरण पर कोई स्वतंत्र मूल्यांकन, सर्वेक्षण या लागत-प्रभावशीलता का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू और वाणिज्यिक दोनों प्रकार के एलपीजी सिलेंडरों की वर्तमान दर संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान दर में कितनी वृद्धि की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क): प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई,2016 में शुरू की गई थी, जिसका उदेश्य देश भर के गरीब परिवारों की व्यस्क महिलाओं को जमानत राशि मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। दिनांक 01.11.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन थे। विगत पांच वर्षों में केरल समेत जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शनों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पीएमयूवाई के तहत 25 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी करने की मंज़ूरी दी है।

(ख): विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों की रिफिल खपत दरें, प्रति परिवार प्रति वर्ष लिए गए 14.2 किलोग्राम रिफिल की संख्या के संदर्भ में निम्नानुसार हैं:

वित्त वर्ष	प्रति कनेक्शन खपत (14.2 किलोग्राम रिफिल/ग्राहक/वर्ष के संदर्भ में)
2021-22	3.68
2022-23	3.71
2023-24	3.95
2024-25	4.47
2025-26 (अक्टूबर-25 तक)	4.86

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल

विगत पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों की राज्य/संघ क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार प्रति कनेक्शन रिफिल खपत (14.2 किलोग्राम एलपीजी रिफिल के संदर्भ में) का ब्यौरा **अनुलग्नक-ख** में दिया गया है।

विगत पांच वर्षों में जिन पीएमयूवाई ग्राहकों ने कोई रिफिल नहीं लिया है, उनका राज्य/संघ क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-ग** में दिया गया है।

(ग): अनुसंधान और विकास पहल (आरडीआई) ने एक व्यापक तृतीय-पक्ष जांच किया। इस जांच के साथ-साथ कई दूसरी स्वतंत्र अध्ययन और रिपोर्ट से पता चला है कि पीएमयूवाई योजना का गांव के परिवारों, विशेषकर गांव और दूर-दराज के इलाकों की महिलाओं और परिवारों की ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ा है। कुछ विशेष लाभों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(i) पीएमयूवाई के कारण खाना पकाने के पुराने तरीकों में बदलाव आया है, जिसमें लकड़ी, गोबर और फसल अवशिष्ट जैसे ठोस ईंधन जलाना शामिल है। साफ़ ईंधन के इस्तेमाल से घर के अंदर का वायु प्रदूषण कम होता है, जिससे श्वसनीय स्वास्थ्य विशेषकर महिलाओं और बच्चों जो आम तौर पर घर के धुएं के ज़्यादा संपर्क में रहते हैं,में सुधार होता है।

(ii) गांव के इलाकों में, विशेषकर दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले परिवार, अक्सर अपना ज़्यादातर समय और ऊर्जा खाना पकाने के पारंपरिक ईधन इकट्ठा करने में लगाते हैं। एलपीजी ने गरीब घरों की महिलाओं की मेहनत और खाना पकाने में लगने वाले समय को कम किया है। इस तरह, उनके पास जो खाली समय होता है, उसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है ताकि उनकी आर्थिक उत्पादकता बढ़े।

(iii) बायोमास और पारंपरिक ईंधन से एलपीजी पर बदलाव करने से खाना पकाने के लिए लकड़ी और दूसरे बायोमास पर निर्भरता कम हो जाती है, जिससे जंगलों की कटाई और पर्यावरण को होने वाले नुकसान में कमी आती है। इससे न सिर्फ़ परिवारों को फ़ायदा होता है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के व्यापक प्रयासों में भी मदद मिलती है।

(iv) खाना पकाने की बेहतर सुविधाओं से पोषण पर अच्छा असर पड़ सकता है। परिवारो को अलग-अलग तरह का पौष्टिक खाना बनाना आसान लग सकता है, जिससे समग्र स्वास्थ्य बेहतर होगा।

(घ): भारत अपने घरेलू एलपीजी खपत का 60% से ज़्यादा हिस्सा आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े होते हैं। हालांकि वाणिज्यिक एलपीजी के मूल्य एलपीजी मार्केटिंग कंपनियाँ अलग से स्वतंत्र रूप से निर्धारित करती हैं, लेकिन सरकार घरेलू एलपीजी के लिए ग्राहकों के लिए प्रभावी मूल्य तय करती रहती है। जबकि औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क) 21% (जुलाई 2023 में 385/एमटी अमेरिकी डॉलर से नवंबर 2025 में 466/एमटी अमेरिकी डॉलर तक) बढ़ा, घरेलू एलपीजी के मूल्य लगभग 22% कम हो गईं।

दिल्ली में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के खुदरा विक्रय मूल्य निम्नानुसार हैं:

निम्न तिथि की स्थिति के अनुसार	**घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का मूल्य**	**वाणज्यिक एलपीजी सिलेंडर (19 किलो) का मूल्य**
01.12.2022	1053.00	1744.00
01.12.2025	853.00*	1580.50

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल

*** प्रति सिलेंडर 300 रुपए की राजसहायता के बाद, पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य 553 रुपए प्रति सिलेंडर (दिल्ली में) है।**

****

अनुलग्नक-क

'केरल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)' के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1869 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

दिनांक 01.11.2025 की स्थिति के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी किए गए पीएमयूवाई कनेक्शनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार ब्यौरा -

पीएमयूवाई योजना के तहत राज्यवार कनेक्शन जारी				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	811	46	383	-
आंध्र प्रदेश	25,222	95,672	4,55,997	3,203
अरुणाचल प्रदेश	3,457	1,514	4,544	9
असम	5,11,073	4,24,243	6,77,955	8,138
बिहार	16,13,210	6,39,296	8,85,019	9,662
चंडीगढ़	5	569	1,366	-
छत्तीसगढ	3,73,735	1,44,003	2,93,324	16,605
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	39	14	2,795	2
दिल्ली	22,638	43,594	1,14,936	2,941
गोवा	-	141	692	-
गुजरात	5,40,537	4,06,881	4,62,062	4,795
हरियाणा	13,675	29,097	3,45,912	2,333
हिमाचल प्रदेश	2,058	2,525	10,089	54
जम्मू और कश्मीर	9,415	7,110	25,324	367
झारखंड	2,19,486	1,74,072	2,49,411	1,559
कर्नाटक	3,28,275	2,93,751	3,91,934	695
केरल	**44,456**	**40,802**	**46,564**	**97**
लद्दाख	28	1	2	-
लक्षद्वीप	10	14	61	-
मध्य प्रदेश	7,95,859	2,92,462	6,05,761	15,730
महाराष्ट्र	2,81,997	1,94,467	3,27,823	3,523
मणिपुर	22,025	23,691	22,970	-
मेघालय	22,628	41,847	1,01,774	1,385
मिजोरम	1,523	3,962	2,436	22
नगालैंड	21,977	14,956	30,324	68
ओडिशा	4,55,549	1,37,729	2,26,972	2,798
पुदुचेरी	655	616	4,485	20
पंजाब	17,132	48,514	75,928	53
राजस्थान	2,64,503	3,10,247	4,51,692	7,030
सिक्किम	3,707	1,341	6,116	-
तमिलनाडु	2,14,225	2,57,068	3,97,716	1,849
तेलंगाना	40,198	41,845	32,890	336
त्रिपुरा	5,827	11,673	31,959	1,060
उत्तर प्रदेश	20,00,914	7,98,372	10,90,440	5,861
उत्तराखंड	46,778	48,157	33,756	151
पश्चिम बंगाल	20,96,373	14,69,708	6,107	2,108

नोट: 2020-21 में कोई पीएमयूवाई कनेक्शन जारी नहीं किया गया था।

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक-ख

'केरल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)' के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1869 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों के दौरान पीएमयूवाई लाभार्थियों की राज्य-वार और वर्ष-वार प्रति कनेक्शन खपत

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पीएमयूवाई लाभार्थियों की प्रति कनेक्शन खपत (14.2 किलोग्राम रिफिल/वर्ष के संदर्भ में)**				
	2021-22	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
चंडीगढ़	5.14	5.80	4.88	7.26	7.08
दिल्ली	6.32	7.83	6.61	7.57	7.46
हरियाणा	5.39	6.03	6.10	6.76	6.81
हिमाचल प्रदेश	4.08	4.07	4.08	4.47	4.46
जम्मू एवं कश्मीर	2.92	3.12	3.43	4.03	4.21
लद्दाख	3.49	3.85	2.97	4.54	5.83
पंजाब	4.96	5.23	5.52	5.63	5.37
राजस्थान	4.12	4.38	4.45	4.93	5.17
उत्तर प्रदेश	4.14	4.06	4.56	5.08	5.54
उत्तराखंड	4.77	4.74	4.88	5.04	5.26
अंडमान और निकोबार	4.10	4.37	5.60	6.06	5.44
अरुणाचल प्रदेश	3.74	3.73	3.77	4.14	4.20
असम	2.72	2.91	2.96	3.36	3.69
बिहार	3.92	3.64	3.82	4.15	4.64
झारखंड	2.55	2.51	2.73	3.20	3.89
मणिपुर	5.04	5.12	4.24	4.40	4.34
मेघालय	2.65	2.94	2.40	2.60	3.05
मिजोरम	4.80	4.84	4.70	5.37	5.51
नगालैंड	3.46	3.49	3.23	3.97	4.61
ओडिशा	3.02	3.10	3.46	4.03	4.47
सिक्किम	3.46	3.61	3.62	4.77	5.31
त्रिपुरा	2.68	2.66	2.67	3.20	3.68
पश्चिम बंगाल	3.49	3.47	3.90	4.78	5.20
छत्तीसगढ	1.81	1.73	1.92	2.39	2.66
दादरा एवं नगर हवेली	4.34	4.72	4.92	4.92	4.68
गोवा	4.62	4.35	3.93	4.27	4.51
गुजरात	4.49	4.68	4.76	5.31	5.72
मध्य प्रदेश	2.92	2.97	3.11	3.50	3.93
महाराष्ट्र	4.23	4.44	4.62	5.19	5.58
आंध्र प्रदेश	3.81	4.07	3.73	4.42	4.82
कर्नाटक	4.53	4.71	4.76	5.35	5.69
केरल	4.13	4.19	3.99	4.40	4.84
लक्षद्वीप	4.05	3.47	3.82	3.60	4.37
पांडिचेरी	6.14	5.95	6.25	6.91	7.33
तमिलनाडु	4.12	4.28	4.38	4.81	5.04
तेलंगाना	3.47	3.62	3.47	3.67	3.84

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल

अनुलग्नक-ग

'केरल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)' के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1869 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

पिछले पांच वर्षों के दौरान रिफिल नहीं लेने वाले पीएमयूवाई उपभोक्ताओं का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की संख्या जिन्होंने संबंधित वित्त वर्ष के दौरान रिफिल नहीं लिया**				
	2020-21	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	581	2,574	1,125	1,041	1,433
आंध्र प्रदेश	1,093	26,515	31,670	1,00,811	60,447
अरुणाचल प्रदेश	181	6,395	8,090	9,705	8,932
असम	67,701	8,63,541	10,51,029	12,80,551	14,88,148
बिहार	1,14,455	7,48,881	10,70,552	13,94,091	15,20,952
चंडीगढ़	-	12	9	99	43
छत्तीसगढ	2,05,484	10,79,938	12,71,260	12,62,743	12,32,813
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	46	184	44	449	660
दिल्ली	683	4,507	5,239	10,393	10,294
गोवा	11	58	53	72	84
गुजरात	27,437	2,49,750	2,44,519	3,45,994	2,92,156
हरियाणा	7,916	44,614	38,539	57,640	44,458
हिमाचल प्रदेश	167	14,779	14,522	14,450	14,541
जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश	18,637	1,42,560	1,31,341	1,87,121	1,48,549
झारखंड	41,220	7,11,219	8,72,565	9,59,833	9,42,495
कर्नाटक	14,208	1,58,972	2,01,699	2,90,266	2,77,586
केरल	710	17,391	24,203	35,730	39,509
लद्दाख	39	668	439	2,311	752
लक्षद्वीप	2	20	26	24	22
मध्य प्रदेश	67,820	10,29,582	13,18,596	16,08,366	16,65,720
महाराष्ट्र	36,273	2,61,311	2,77,828	4,19,240	3,40,848
मणिपुर	2,237	14,204	16,777	27,925	20,576
मेघालय	3,539	50,338	53,686	67,288	92,539
मिजोरम	44	2,672	3,037	3,962	5,804
नगालैंड	160	11,696	16,164	19,909	24,140
ओडिशा	36,865	6,46,511	8,14,363	9,29,890	8,34,455
पुदुचेरी	5	485	509	1,029	1,004
पंजाब	9,754	73,458	90,233	93,622	1,21,114
राजस्थान	50,869	3,32,010	3,29,397	5,59,606	6,46,146
सिक्किम	12	2,640	2,763	1,870	3,131
तमिलनाडु	19,337	3,04,694	2,69,965	3,52,734	3,91,044
तेलंगाना	2,836	1,04,256	73,935	1,32,982	1,38,890
त्रिपुरा	20,195	98,602	1,05,116	1,21,223	1,30,407
उत्तर प्रदेश	2,09,511	12,04,963	16,81,620	15,21,472	18,27,825
उत्तराखंड	3,048	34,264	44,203	58,421	64,325
पश्चिम बंगाल	91,222	9,30,385	18,19,143	21,75,329	20,87,818

स्रोत: पीएसयू ओएमसी की ओर से आईओसीएल